राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2113/2016

विजयंत टाक **–अपीलार्थी**

बनाम

निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.01.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अरविन्द, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने मेडिकल ऑफिसर के पद पर दिनांक 25.04.2005 को सेवा में प्रवेश किया था। अपीलार्थी ने एम.डी. की पढ़ाई एसएमएस चिकित्सालय जयपुर रेजिडेंट के रूप में रह कर वर्ष 2009 से 2012 के मध्य में की थी। इसी बीच जुलाई, 2011 में अपीलार्थी की पदोन्नति जूनियर स्पेशलिस्ट के रूप में हुई थी। अपीलार्थी वर्ष 2012 से 2013 बनीपार्क सेटेलाईट अस्पताल जयपुर में पदस्थापित रहा एवं वर्ष 2014 से 2015 के मध्य ईएसआई डिस्पेंशरी नं. 4 में पदस्थापित रहा। अपीलार्थी ने डी.एम. गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी की पी.जी की पढ़ाई के लिये सेवारत अभ्यर्थी के रूप में आवेदन किया जिस पर अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग से 2015 से 2018 के लिये अध्ययन अवकाश की प्रार्थना की। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 19.11.2015 के द्वारा दिनांक 07.09.2015 से 06.09.2018 तक के लिये अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया, जो आदेश अनुलग्नक–1 है। अपीलार्थी ने नियम 121ए., राजस्थान सेवा नियम के तहत बन्ध पत्र भी प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने डी.एम. गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी कोर्स में एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से सेवारत अभ्यर्थी के रूप में सेशन–2015 में प्रवेश प्राप्त किया। प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 08.03.2016 पारित किया, जिसमें अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलार्थी के लिये आदेश पारित किया कि अपीलार्थी को पूर्व में दिया गया अध्ययन अवकाश की स्वीकृति निरस्त की जाती है। इस प्रकार अपीलार्थी के पक्ष में अध्ययन अवकाश स्वीकृति रेस्ट्रोस्पेक्टिव दिनांक से निरस्त कर दी गई, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को जारी अध्ययन अवकाश स्वीकृति निरस्त किये जाने से पूर्व

अपीलार्थी के सम्बन्ध में गुणावगुण पर विचार नहीं किया गया और राजस्थान सेवा नियम, 1951 की अवहेलना की गयी है। अपीलार्थी नियम 110 एव 112 राजस्थान सेवा नियम के तहत अध्ययन अवकाश प्राप्त करने को अधिकारी था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि नियमों में दिनांक 31.05.2012 को संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा 36 माह तक पी.जी. पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है। ऐसे में अपीलार्थी को जो अध्ययन अवकाश दिया गया था वह नियमानुसार दिया गया था, जिसे निरस्त किये जाने का कोई आधार नहीं है। अध्ययन अवकाश दिये जाने के करीब एक वर्ष पश्चात उसे निरस्त किया गया है, जो उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने के उपरान्त ही अध्ययन अवकाश प्राप्त कर पी.जी. की पढ़ाई कर रहा था। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश दिनांक 08.03. 2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अध्ययन अवकाश स्वीकृति आदेश दिनांक 19–11–2015 में भी यह स्पष्ट अंकित था कि ''यह अध्ययन अवकाश उन्हीं चिकित्सकों हेतु मान्य होगा, जिनका पी.जी. में चयन सेवारत क्वोटे के तहत हुआ है तथा जिन्होंने पूर्व में सेवारत क्वोटे के तहत पी.जी. करने का लाभ नहीं लिया है।'' अतः आदेश दिनांक 19–11–2015 अपीलार्थी हेतु मान्य नहीं था। अतः आक्षेपित आदेश दिनांक 08–03–2016 नियमानुसार उचित है। अपीलार्थी ने वर्ष 2009–12 के दौरान सेवारत चिकित्सक के रूप में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण (एम.डी. इन मेडिसिन) प्राप्त किया। इस हेतु अपीलार्थी को ड्यूटी पर मानते हुए पूर्ण वेतन भुगतान किया गया अर्थात उक्त चिकित्सक को राज्य सेवारत क्वोटे से स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्राप्त करने का लाभ पूर्व में ही दिया जा चुका है। चिकित्सक का यह कथन कि जुलाई 2011 में उत्कृष्ट एसीआर के कारण उन्हें डीएसीपी स्कीम के अन्तर्गत कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन) के पद पर पदोन्नत किया गया, स्वीकार नहीं है क्योंकि कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति हेतु स्नातकोत्तर होना आवश्यक है जबकि अपीलार्थी ने वर्ष 2012 में पी.जी. पूर्ण की है। डीएसीपी स्कीम के अन्तर्गत 6 वर्ष की सेवा सन्तोषप्रद रूप से पूर्ण करने पर प्रत्येक चिकित्सक को प्रथम पदोन्नति का लाभ देय होता है वह अपीलार्थी को भी दिया गया। अपीलार्थी को राज्य सरकार के पत्र दिनांक 24–7–2015 द्वारा प्री डीएम परीक्षा में आवेदन की अनुमति चयन होने पर असाधारण अवकाश देय होने की शर्त पर प्रदान की गयी थी। अनुमति में यह स्पष्ट उल्लेख था कि उक्त अध्ययन हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा व किसी

अतिरिक्त लाभ की मांग नहीं की जावेगी। अपीलार्थी को प्रदत्त अनुमति के अनुसार प्री डीएम हेतु चयन होने पर असाधारण अवकाश देय था, क्योंकि अपीलार्थी सेवारत कोटे में पीजी करेन का लाभ पूर्व में ही प्राप्त कर चुका था।

3. हमनें दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया। उल्लेखनीय है कि इस अपील में इस अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 03.08.2016 के द्वारा विवादग्रस्त आदेश दिनांक 08.03.2016 को स्थगित रखे जाने के आदेश दिये थे।

4. अपीलार्थी का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी को सेवारत कोटे से डी.एम. गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी विषय में पी.जी. करने के लिये दिनांक 07.09.2015 से 06.09.2018 तक अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया था, जो करीब एक वर्ष बाद दिनांक 08.03.2016 के आदेश द्वारा निरस्त किया गया, जो उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी स्वीकृत अवकाश के तहत पी.जी. कर रहा था। उनका यह भी तर्क रहा है कि आलोच्य आदेश में बिना कोई कारण अंकित किये अपीलार्थी का अध्ययन अवकाश निरस्त किया जाना उचित नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी को सेवारत कोटे से पी.जी. करने के लिये पूर्व में लाभ दिया जा चुका था। जिस कारण से उनका अध्ययन अवकाश निरस्त किया गया है। हमारे समक्ष प्रत्यर्थी विभाग की ओर से आदेश दिनांक 29.11.2012 प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को पूर्व में अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया था। इस आदेश से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को दिनांक 01.03.2012 से 19.06.2012 तक का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार अपीलार्थी को 3 माह 19 दिन का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया था। राजस्थान सेवा नियम का नियम 110 में निम्न प्रकार से प्रावधान है :–

> '' (**नियम 110. अध्ययन अवकाश की अनुज्ञेयता** : (1) एक स्थाई राज्य कर्मचारी को अध्ययन अवकाश, अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम या वैज्ञानिक या तकनीकी प्रकृति के अनुसंधान कार्य करने, जो स्वीकृतिकर्ता–प्राधिकारी की सम्पति में विभागीय कार्य, जिसमें वह नियोजित है, के हित में आवश्यक समझा जाता है, अनुज्ञेय होगा। साधारणतया यह अवकाश एक ऐसे कर्मचारी को स्वीकृत नहीं किया जावेगा जिसने 20 वर्ष या अधिक की सेवा पूर्ण कर ली हो।
>
> (2) उपनियम (1) के प्रावधानों में कुछ भी होते हुए, अध्ययन अवकाश एक ऐसे अस्थाई सरकारी कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगा जिसने तीन वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, परन्तु शर्त यह है कि प्रारम्भिक नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग के परामर्श से हुई हो, यदि वह पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में आता है या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबिधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक

के अधीन सेवा में भर्ती एवं शर्तों को नियमित करने हेतु बनाये गये नियमों और उपनियमों के अनुसार की हुई हो या जहाँ इस प्रकार के नियम नहीं बने हैं वहाँ वह नियुक्ति शैक्षणिक अर्हता, अनुभव आदि विहित करने के सक्षम आदेशों के अनुसार हुई हो।

(3) एक ऐसे अस्थाई सरकारी कर्मचारी के मामले में, जिसने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो और उपर्युक्त उपनियम (2) के प्रावधानों द्वारा आवृत्त नहीं होता हो, उसे जनहित में प्रमाणित उच्च अध्ययन के प्रयोजनार्थ 2 वर्ष का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 (ख) के प्रावधानों के शिथिलीकरण में स्वीकृत किया जा सकता है।

टिप्पणी : 1. इंजीनियरिंग की किसी शाखा में डिप्लोमाधारक व्यक्ति, जिसे उपर्युक्त उप–नियम (1) और (2) के अन्तर्गत अध्ययन अवकाश देय है, को 24 माह की अवधि का अध्ययन अवकाश और इसके अतिरिक्त एक वर्ष तक का किसी अन्य प्रकार का अवकाश जो उसे देय और अनुज्ञेय हो, स्वीकृत किया जा सकता है जिससे वह इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर सके। अन्य किसी प्रकार का अवकाश देय और अनुज्ञेय नहीं होने पर उसे 1 वर्ष तक का असाधारण अवकाश इस नियम के अन्तर्गत देय अध्ययन अवकाश के अतिरिक्त स्वीकृत किया जा सकता है।

2. इन्जीनियरिंग की किसी शाखा में अस्थाई डिप्लोमाधारी, जिसने निरन्तर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, और उपर्युक्त टिप्पणी (1) के प्रावधानों द्वारा आवृत्त नहीं होता, को किसी विश्वविद्यालय में इन्जीनियरिंग डिग्री प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ तीन वर्ष तक का असाधारण अवकाश, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 (ख) के प्रावधानों के शिथिलीकरण में स्वीकृत किया जा सकता है।''

5. राजस्थान सेवा नियम के नियम 112 में निम्न प्रकार से प्रावधान है :–

'' **नियम 112. अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की शर्त :** (1) एक सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति :–(i) एक अध्ययन/पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने अथवा किसी वैज्ञानिक या तकनीकी प्रकृति के ज्ञान की खोजबीन (शिक्षा प्राप्त करने) करने के लिये दी जा सकती है किन्तु शर्त यह है कि अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को प्रमाणित करना होगा कि ऐसे कार्यों के लिये उस कर्मचारी को अध्ययन अवकाश स्वीकृत करना उस विभाग के पद के कार्यों के हित में होगा जिसको वह अधिकारी/कर्मचारी धारण करता है/कर रहा है। अध्ययन अवकाश स्वीकार करने को सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अधिकारी/कर्मचारी को ऐसा अवकाश इतनी शीघ्रता से (बार–बार) स्वीकार नहीं किया जावे जिससे उस कर्मचारी का अपने नियमित कार्यों से सम्पर्क ही टूट जावे अथवा उसकी अवकाश की अनुपस्थिति के कारण संवर्ग में प्रशासनिक कठिनाइयाँ बढ़ जायें। एक अवसर पर 12 माह के अध्ययन अवकाश को सामान्यतः एक औचित्यपूर्ण अधिकतम

अवधि मानी जानी चाहिये और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर इनमें वृद्धि नहीं की जानी चाहिये।)

[(ii) एक राज्य कर्मचारी को उसके सम्पूर्ण सेवाकाल में 24 माह से अधिक का अध्ययन अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा जिसका वह एक अवसर या एक से अधिक अवसरों पर उपभोग कर सकता है। अध्ययन अवकाश का उपभोग अन्य प्रकार के अवकाशों के साथ किया जा सकता है किन्तु जहाँ अध्ययन अवकाश का उपभोग किसी अन्य प्रकार के अवकाश, असाधारण अवकाश को छोड़कर, के साथ किया जावे तो अध्ययन अवकाश तथा दूसरे अवकाशों के कारण राज्य कर्मचारी की नियमित कर्तव्यों से अनुपस्थिति 28 माह से अधिक की स्वीकृत नहीं की जावेगी।)

(**अपवाद :** चिकित्सा अधिकारी/आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी को स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के लिए 36 मास का अध्ययन अवकाश अनुज्ञेय होगा। जो चिकित्सा अधिकारी/आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पहले ही अध्ययन अवकाश पर हैं, वे भी अध्ययन अवकाश की शेष अवधि तक की अध्ययन अवकाश की वर्धित अवधि के हकदार होंगे।)

[(2) अध्ययन अवकाश अर्द्ध–वेतन पर अतिरिक्त अवकाश होता है तथा ऐसे अवकाश काल में कर्मचारी को अवकाश वेतन का भुगतान सेवा नियम 97 (2) के अनुसार देय होगा।)''

6. राजस्थान सरकार द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 31.05.2012 के द्वारा अध्ययन अवकाश की अवधि बढाकर 36 माह की गयी है। उपरोक्त प्रावधानों से प्रकट होता है कि अध्ययन अवकाश एक से अधिक बार में दिया जा सकता है। नियमों में यह प्रावधान नहीं है कि यदि अपीलार्थी को 3 माह 19 दिन का अध्ययन अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया गया था तो शेष अवधि के लिए पी.जी. करने के लिए उन्हें अध्ययन अवकाश देय नहीं हो। नियम–110 में यह प्रावधान है कि विभागीय कार्यों के हित में यदि आवश्यक समझा जाये तो अध्ययन अवकाश अनुज्ञय होगी। ऐसें में अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को यह देखना होता है कि क्या अध्ययन पाठ्यक्रम विभागीय कार्य के हित में है या नहीं। यह अधिकरण इस संबंध में अपना कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता है कि क्या प्रशासनिक दृष्टि से किसी पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन अवकाश विभागीय हित में दिया जाये या नहीं। इसके लिए सक्षम अधिकारी अपने विवेक से निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। इस प्रकरण में चूंकि जो आदेश दिनांक 08.03.2016 पारित किया गया है, उसमें यह कहीं अंकित नहीं किया गया है कि अध्ययन अवकाश किस आधार पर निरस्त किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के जवाब से यह प्रकट होता है कि अध्ययन अवकाश इसलिए निरस्त किया गया है कि पूर्व में अपीलार्थी एक बार अध्ययन अवकाश प्राप्त

कर चूका है। हमारे मत में अपीलार्थी को शेष बची हुई अवधि के लिए अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है, परंतु उसके लिए सक्षम अधिकारी को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए नियम–110 के तहत निर्णय देना होता है कि क्या अध्ययन अवकाश विभागीय हित में है या नहीं। आलोच्य आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि शेष अवधि के लिए नियमानुसार इस आधार पर अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलार्थी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वो पूर्व में स्वीकृत अध्ययन अवकाश के बाद शेष बची हुई अवधि के लिए आगामी 3 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)